

आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

आधुनिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए रिपोर्टों के सर्वेक्षण एवं तैयारी हेतु बोली का आमंत्रण

आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल), दिल्ली (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. एक ' नवरत्न ' केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) रायचूर-शोलापुर 765 केवी सिंगल सर्किट लाईन-1: दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के बीच समकालिक अंतः संबंध-कृष्णापटनम यूएमपीपी से संबद्ध पारेषण तंत्र की रिपोर्ट की आधुनिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण और तैयारी हेतु प्रतिष्ठित परामर्शी फर्मों से निविदाएं आमंत्रित करता है।

निर्माण कार्य की पात्रता, मापदंड और कार्यक्षेत्र इत्यादि हेतु इच्छुक परामर्शी फर्म कृपया हमारी वेबसाइट देखें।

बोली दस्तावेज हमारी वेबसाइट से डाउनलोड अथवा सभी कार्य दिवसों में 10.30 बजे से 16.00 बजे के बीच हमारे कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। बोलियां हमारे कार्यालय में 28.1.2010 को 11.00 बजे तक प्राप्त की जाएगी और उसी दिन 11.30 बजे बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों, जिन्हें वे उपस्थित होने के लिए चुनें, की उपस्थिति में खोली जाएगी।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

डिस्क्लेमर: "रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को अगर अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो बाजार की स्थिति और अन्य बातों को देखते हुए अपने इक्विटी शेयरों के लिए पुनः सार्वजनिक इश्यू लाना चाहता है, जिसके लिए रेड हैंडिंग प्रासैक्ट्स का मसौदा (डीआरएचपी) तैयार कर सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के पास फाइल कर दिया है। डीआरएचपी सेबी की वेबसाइट www.sebi.gov.in तथा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम) की वेबसाइटों www.kmcc.co.in, www.dsmpl.com, www.icicsecurities.com, www.imfinancial.in तथा www.abnamro.co.in पर भी उपलब्ध है। निवेशक ध्यान रखें कि इक्विटी शेयरों में निवेश करना अत्यंत जोखिम पूर्ण हो सकता है और इससे संबंधित विवरणों के लिए उपर्युक्त डीआरएचपी के मसौदे में ' रिस्क फैक्टर ' शीर्षक भाग पढ़ लें। यह विज्ञापन संयुक्त राज्य अमरीका या कहीं अन्य प्रतिभूति की बिक्री के लिए प्रस्ताव नहीं है। संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, अथवा इससे छूट के तहत पंजीकरण न होने पर प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य में नहीं बेची जा सकती। जारीकर्ता और प्रतिभूति बिक्री होल्डर ने संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, के तहत किसी प्रतिभूति को रजिस्टर नहीं किया है और न ही करना चाहता है तथा संयुक्त राज्य अमरीका में जनता को कोई प्रतिभूति देने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी को संयुक्त राज्य कंपनी अधिनियम 1940, यथा संशोधित, के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा और निवेशक इस अधिनियम के लाभों के हकदार नहीं होंगे। संयुक्त राज्य अमरीका के किसी व्यक्ति से कोई धन, प्रतिभूति अथवा अन्य कारणों से स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर इन लिखित दस्तावेजों में निहित सूचना के प्रत्युत्तर में इन्हे भेजा जाता है, तो इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। "